Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में पुलिस थाना सुखेर का हैड कानिस्टेबल 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *12 सितम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये देवकिशन शर्मा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना सुखेर, उदयपुर को परिवादी से **4 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में देवकिशन शर्मा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना सुखेर, उदयपुर द्वारा **20 हजार रुपये** की रिश्वत मांग कर, **5 हजार रुपये** रिश्वत लेने पर सहमत होकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रतनसिंह राजपुरोहित** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये देवकिशन शर्मा पुत्र श्री नन्दराम शर्मा निवासी 2/212, मीरानगर, भुवाणा, पुलिस थाना सुखेर, उदयपुर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना सुखेर, उदयपुर को परिवादी से **4 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी हैड कानिस्टेबल द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **1 हजार रुपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।